

मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय

आदेश क्रमांक एफ-22/3/18-19/लघु/31/2125 भोपाल, दिनांक 20/9/2018
प्रति

प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
भोपाल।

विषय:- लघु सिंचाई परियोजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति के प्रस्ताव निरस्तीकरण बावत्।

राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित लघु परियोजनाओं की प्रति हेक्टेयर लागत निर्धारित माप दण्ड से अधिक होने के कारण उनके प्रशासकीय स्वीकृति के प्रस्ताव निरस्त करता है।

| स.क्र. | परियोजना का नाम | जिला | परियोजना की प्रति हेक्टेयर लागत |
|--------|--------------------------|---------|---------------------------------|
| 1. | दर्रोनी जलाशय (नहर रहित) | शिवपुरी | रु. 4.61 लाख |
| 2. | बोरखेड़ी जलाशय | उज्जैन | रु. 4.26 लाख |

2. यह आदेश वित्तीय समिति की बैठक दिनांक 05.09.2018 में प्राप्त अनुशंसा के अनुक्रम में जारी किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
दिनांक 20/9/18
(व्ही.एस. टेकाम)
उप सचिव,

म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग

आदेश क्रमांक एफ-22/3/18-19/लघु/31/2126 भोपाल, दिनांक 20/9/2018
प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव म.प्र. शासन, वित्त विभाग भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आर्थिक एवं योजना विभाग।
3. मुख्य अभियंता, यमुना कछार, ग्वालियर/नर्मदा ताप्ती कछार इंदौर।
4. अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मंडल ग्वालियर/उज्जैन।
5. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शिवपुरी/उज्जैन।
6. वैब मैनेजर, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल
की ओर आदेश विभागीय वेब साईट पर प्रकाशित करने हेतु।

दिनांक 20/9/18
उप सचिव,

म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग